निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 59/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. राधेश्याम पुत्र रामनाथ जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम नयाबास तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री विश्वामित्र मीणा आर ए एस पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर ।
2. रामजीलाल पुत्र कन्हैयालाल
3. रामगोपाल पुत्र कन्हैयालाल
4. हरिनारायण पुत्र कन्हैयालाल
5. नेमीचन्द पुत्र कन्हैयालाल

   समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम नयाबास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
6. रामनारायण मीणा पुत्र भीवाराम मीणा निवासी प्लाट नं. ए-3, जोबनेर बाग, स्टेशन रोड, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी जमवामरामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 67/2019 ब उनवानी राधेश्याम बनाम रामजीलाल व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थित:-

1. श्री राजकुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 31-10-2019

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 67/2019 ब उनवानी राधेश्याम बनाम रामजीलाल व अन्य विचाराधीन है। जिसमें दिनांक 19.06.2019 को अप्रार्थी संख्या 5 उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के चैम्बर से निकलते समय प्रार्थी इसको मिला तो अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा प्रार्थी को धमकी दी कि मैने उक्त प्रकरण में जमवारामगढ विधायक श्री गोपाल मीणा द्वारा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को फोन करवा दिया है एवं उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के कहने पर ही मैने आज शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अब तुम्हारा स्थगन दो चार दिन में टूट जायेगा और हम फिर से निर्माण कार्य शुरू कर देंगें । उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को क्षेत्रिय विधायक श्री गोपाल लाल

जिला कलक्टर
जयपुर

मीणा द्वारा सिफारिश करके ही यहां लगाया गया है एवं उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ क्षेत्रीय विधायक के कहने के अनुसार ही कार्य करते है। अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा प्रार्थी का उपरोक्त स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया जाता है तो प्रार्थी न्याय से वंचित हो जायेगा एवं अप्रार्थीगण अपने मनसूबों में कामयाब हो कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य करने के मनसूबों मे कामयाब हो जायेगे। प्रार्थी द्वारा भी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से यही अनुतोष चाहा गया है कि जब तक सीमा की घोषणा होकर चिन्ह अंकित नहीं हो जाते तब तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया जावे, परन्तु अप्रर्थी संख्या 6 जो कि स्वयं भी भू दान बोर्ड का मंत्री है और अपने पद एवं प्रतिष्ठा का दुरूपयोग करते हुये प्रार्थी की भूमि पर अवैद्य तरीके से कब्जा करना चाहता है एवं क्षेत्रीय विधायक के माध्यम से अपने मनसूबों को कामयाब करने के लिए प्रार्थी संख्या 01 पर दबाव बना कर कामयाब होना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 5 की उक्त हरकतो को देख कर प्रार्थी आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हो सकता है जब अप्रार्थी संख्या 5 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गया है तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नही रही । ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु स्थानान्तरण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। विपक्षी संख्या 2 नें उपस्थित हो कर जबाब पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. उभयपक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से प्राप्त टिप्पणी का भलीभांति अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में स्थगन जारी किया गया है। इसलिए प्रार्थी के कथन को बल नहीं मिलता है। प्रकरण में उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

6. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित हो । पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
7. निर्णय आज दिनांक 31-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर